भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 181
02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

181. श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अतिक्रमण की गई रक्षा भूमि का तमिलनाडु सहित स्थान और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रक्षा भूमि से अितक्रमण न हटाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये अतिक्रमण संबंधित राज्यों के प्राधिकरणों की मिलीभगत से किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं और अवैधता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) सम्पूर्ण देश में लगभग 18 लाख एकड़ की रक्षा भूमि में से, लगभग 10,319 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन है। तमिलनाडु राज्य सहित अतिक्रमण की गई रक्षा भूमि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर संलग्न है।

(ख) अतिक्रमण की पहचान, रोकथाम एवं इसे हटाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रक्षा भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। रक्षा भूमि के अतिक्रमण में राज्य सरकार के प्राधिकरणों की कोई मिलीभगत नहीं पाई गई है। हालांकि, कार्यालय अथवा सार्वजनिक उपयोगिता के लिए कतिपय रक्षा भूमि राज्य सरकार की कुछ एजेंसियों के अधीन है।

(ङ) रक्षा भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) संबंधित कार्यालयों द्वारा रक्षा भूमि का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और उन्हें नियमानुसार वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ii) जब कभी अतिक्रमण का पता लगता है, उन्हें पुलिस प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन के सहयोग से उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करके अतिक्रमण-रोधी अभियानों द्वारा हटाया जाता है।

(iii) रक्षा भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है।

(iv) एक भू-प्रबंधन प्रणाली को स्थापित किया गया है जिसमें अतिक्रमण की जीआईएस स्तरों को विकसित किया गया है जो एक निश्चित समयावधि के दौरान किए गए अतिक्रमणों के बारे में सूचना प्रदान करता है और नए अतिक्रमणों की रोकथाम में सहायता करता है।

(v) वर्ष 2011-12 से रक्षा भूमि लेखापरीक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर संस्थापित किया गया है।

(vi) रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की 'आशंका' का मूल्यांकन करने हेतु एक पद्धति विकसित की गई है। इस आशंका के मूल्यांकन के आधार पर, संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना फील्ड कार्यालयों को प्रदान की गई है।

(vii) सरकार ने कतिपय असुरक्षित रक्षा भूमि पाकेट्स के चारों तरफ चारदीवारी/बाड़/खंभों के निर्माण के लिए निधियों का आबंटन किया है।

"रक्षा भूमि का अतिक्रमण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 181 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अतिक्रमण की गई कुल रक्षा भूमि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (एकड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.0700
2	आंध्र प्रदेश	52.7965
3	अरूणाचल प्रदेश	77.9850
4	असम	462.3127
5	बिहार	589.6480
6	छत्तीसगढ़	75.9000
7	दिल्ली	147.5745
8	गोवा	5.1166
9	गुजरात	212.7499
10	हरियाणा	793.4094
11	हिमाचल प्रदेश	59.7369
12	झारखण्ड	302.5220
13	कर्नाटक	152.3736
14	केरल	2.6170
15	लक्षद्वीप	0.0800

16	मध्य प्रदेश	1643.6760
17	महाराष्ट्र	1022.5700
18	मणिपुर	5.6478
19	मेघालय	13.3402
20	मिजोरम	0.0030
21	नागालैंड	356.1000
22	ओडिशा	50.9350
23	पंजाब	451.1075
24	राजस्थान	478.1285
25	सिक्किम	64.8440
26	तमिलनाडु	153.6210
27	तेलंगाना	95.2236
28	उत्तर प्रदेश	1796.5745
29	उत्तराखंड	68.2916
30	जम्मू और कश्मीर	314.1692
31	लद्दाख	29.5810
32	पश्चिम बंगाल	816.0484
	कुल	**10318.7534**

*****